रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240320 CG-DL-E-16112022-240320

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728] No. 728] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 816(अ).— राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल के समूह 'ख' के सहायक इंजीनियर (सिविल अनुरक्षण) के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातु :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल, सहायक इंजीनियर (सिविल अनुरक्षण), अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (समूह 'ख', राजपत्रित) भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

7591 GI/2022 (1)

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है.

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक इंजीनियर (सिविल अनुरक्षण)	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-8 (47,600- 1,51,100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्तिः अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन या क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाइयों के सिविल इंजीनियरी विभाग के अधिकारी। (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; और (ii) निम्निलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों: (क) प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी के क्षेत्र में इंजीनियरी में स्नातकोत्तर; और (ख) सिविल अनुरक्षण कार्य में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि - केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियक्ति से ठीक पहले धारित	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 2019/ई(जी)आरआर/15/1]

अन्विता सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2022

- **G.S.R. 816(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' post of Assistant Engineer (Civil Maintenance) of the Indian Railways, namely:—
- 1. Short title and commencement. (1)- These rules may be called the Indian Railways, Assistant Engineer (Civil Maintenance), Research Designs and Standards Organisation (Group 'B', Gazetted), Recruitment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - **4. Disqualification.**–No person,
 - a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or
 - b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-	Age-limit for direct	Educational and other qualifications required
				selection post.	recruits.	for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Engineer (Civil Maintenance).	2* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non– Ministerial.	level-8 (Rs. 47,600- 1,51,100).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	100% by deputation.	Deputation: Officers of Civil Engineering Department of Research Designs & Standards Orgnization or Zonal Railway or Production Units: (i) holding analogous posts on regular basis; and	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
			(ii) possessing the following educational qualification and experience: (a) Masters of Technology or Masters in Engineering in the field of		
			Civil Engineering from a recognised University or institute; and (b) Two years experience of civil maintenance work.		
			Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.		
			Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of application.		
			Note 3: Post of Assistant Engineer (Civil Maintenance) in Research Designs & Standards Orgnization will be ex-cadre post and vacancies in the same will not be considered for calculating the vacancies for promotion to combined cadre of Group B posts of civil Engineering Directorates of Research Designs & Standards Orgnization.		

[F. No. 2019/E(G)RR/15/1]

ANVITA SINHA, Executive Director Establishment (Gazetted Cadre)